(540)

2012 (78)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प 3(77)नविवि/3/2010पार्ट I

जयपुर, दिनांक 12 DEC 2012

सचिव,
जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर/जोधपुर।

विषय :— प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012 के दौरान कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों के पट्टे जारी करने हेतु आयोजित कैम्प को प्रथम कैम्प मानने की छूट निजी खातेदारों की योजना पर भी लागू करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत टाउनशिप डवलपर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (TODAR), जोधपुर विकास प्राधिकरण व अन्य नगर विकास न्यासों से प्राप्त सन्दर्भो के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रशासन शहरों संग अभियान–2012 के दौरान कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों के पट्टे जारी करने हेतु आयोजित कैम्प को प्रथम कैम्प मानते हुये ब्याज राशि के संबंध में छूट के निर्देश पूर्व में ही जारी किये जा चुके है। राज्य सरकार के आदेश स्पष्ट है कि कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के लिए दी गई छूट केवल गृह निर्माण सहकारी समितियों पर ही लागू नहीं है, बल्कि सभी प्रकार की कृषि भूमियों पर बसी योजनाओं के लिए है।

अतः पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि निजी खातेदारी/विकासकर्ता की आवासीय योजना में अभियान अवधि के दौरान पट्टा जारी करने हेतु आयोजित कैम्प को प्रथम कैम्प माना जावेगा एवं किसी प्रकार की ब्याज राशि देय नहीं होगी।

भवदीय,

12/12/2012

(एन. एल. मीना)
शासन उप सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है :—

1. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
3. उप शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
4. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर/अजमेर/भरतपुर/भिवाड़ी/भीलवाड़ा/बीकानेर/आबू जिला सिरोही/कोटा/उदयपुर/श्रीगंगानगर/जैसलमेर।
5. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव–तृतीय

(355)